फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री जितेन्द्र पिता बाबूलाल तारवान (दर्जी) निवासी झोटवाडा जयपुर हाल ईनाणी के मकान में किरायेदार, बडीगुवाडी, जूना बाजार, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 121/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2024	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल का जमानती वारण्ट पुनः अदम तामील प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 29478–80 दिनांक 17.11.2018 से गैरसायल श्री जितेन्द्र पिता बाबूलाल तारवान (दर्जी) निवासी ए–35 गोविन्दपुरा करधनी, थाना झोटवाड़ा जयपुर हाल ईनाणी के मकान में किरायेदार, बडीगुवाड़ी, जूना बाजार, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत पेश किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं गैरसायल के अनुपस्थित रहने से गैरसायल की उपस्थिति हेतु दिनांक 07.12.2021, 05.04.2022, 18.05.2022 एवं 30.11.2022 को जमानती वारण्ट जारी कर वास्ते तामीलन थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किये गये जो उनके द्वारा हर बार मय मौतबिरान की टिप्पणी के अदम तामील प्रेषित किए कि गैरसायल दिए पते पर निवास नहीं कर रहा है तथा अभी कहां रह रहा है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पश्चात् प्रकरण न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ से स्थानान्तरण होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः गैरसायल की उपस्थिति बाबत जमानती वारण्ट जारी किया जाकर जरिये पत्रांक 159 दिनांक 24.05.2024, पत्रांक 183 दिनांक 30.05.2024 एवं 228 दिनांक 20.06.2024 से थानाधिकारी, थाना कोतवाली को गैरसायल से वारण्ट तामील करा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु उनके द्वारा जमानती वारण्ट मत मौतबिरान की टिप्पणी के कि गैरसायल आज से तीन साल पहले यहां से कहीं अन्यत्र चला गया जिसका हमें मालुम नहीं है कि वह कहां गया है व कहां रहता है, अदम तामील न्यायालय में प्रस्तुत किये। इस प्रकार इतने जमानती वारण्ट जारी करने पर भी गैरसायल की उपस्थिति थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनिश्चित नहीं कर पाने से पुनः	

.....लगातार

थानाधिकारी, कोतवाली चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक 266 दिनांक 12.07.2024 से गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु लिखते हुए पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ को भी पृष्ठांकित की एवं पुनः जमानती वारण्ट जारी कर गैरसायल से तामील करा प्रस्तुत कराने हेतु लिखे जाने पर भी गैरसायल की तामील नहीं हो पाई तथा पुनः जमानती वारण्ट मय मौतबिरान की तस्दीक के अदम तामील ही प्राप्त हुआ कि गैरसायल मूल निवास ए–35 गोविन्दपुरा, थाना करधनी झोटवाड़ा जयपुर पर पहुंच मालुमात किया गया तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति निवासरत नहीं है तथा हाल ईनाणी के मकान में किरायेदार, बडीगुवाडी, जूना बाजार चित्तौड़गढ़ से आज से तीन साल पहले दिये गये पते से कहीं अन्यत्र चला गया है जिसका हमें मालुम नहीं है जो कहां चला गया व कहां रहता है की टिप्पणी के अदम तामील प्राप्त हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में गैरसायल के धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरणों में सजायाब होने का उल्लेख है तथा अंतिम प्रकरण दिनांक 28.08.2018 को निर्णित होना अंकित है। इस तारीख के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण अंकित नहीं है। मुख्य रूप से जब गैरसायल थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार मूल निवास ए–35 गोविन्दपुरा, करधीन थाना झोटवाड़ा जयपुर एवं वर्तमान पते पर यहां निवास नहीं कर रहा है। उसका कोई अता–पता नहीं चल पा रहा है जिसका सही पता मालूम ही नहीं है तथा पिछले 3 वर्ष से उसका कोई अता–पता ही नहीं है और वह सकूनत से बाहर चल रहा है एवं ना ही उसका वारण्ट पुलिस विभाग द्वारा पिछले 03 वर्षों से तामील कराया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार किए बिना इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 खारिज किया जाता है। यदि गैरसायल सकूनत पर वापस आवे और आपराधिक गतिविधियों में नियमित रूप से लिप्त पाया जावे तो नियमानुसार नये सिरे से इस्तगासा पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे।